

आर पी जी कृषि ट्रेनर/प्रशिक्षण कार्य विकास अधिकारी की सुची एवं शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	पंचायत कृषि ट्रेनर	मैट्रिक या इससे अधिक
2.	प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी	इंटर या इससे अधिक
3.	प्रखण्ड कृषि वरिष्ठ विकास पदाधिकारी	इंटर या इससे अधिक
4.	जिला कृषि विकास प्रभारी	स्नातक या इससे अधिक
5.	जिला कृषि वरिष्ठ विकास प्रभारी	स्नातक या इससे अधिक
6.	प्रमंडल कृषि विकास निदेशक	स्नातकोत्तर या अधिक
7.	प्रमण्डल कृषि विकास मुख्य निदेशक	स्नातकोत्तर या अधिक

आर पी जी कृषि ट्रेनिंग/प्रशिक्षण विकास पदाधिकारियों का कार्य

- पंचायत कृषि ट्रेनर :-** अपने पंचायत कार्य क्षेत्र के किसानों को पंचायत सचिवालय में ट्रेनिंग/प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना एवं किसानों को प्रशिक्षण देना साथ-साथ खेतों में जाकर किसानों को विभिन्न फसलों की बुआई, संरक्षण, सिचाई एवं कटाई की पूर्ण प्रैक्टिकली कार्य करवाना एवं जानकारी देना।
- प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी :-** अपने प्रखण्ड कार्य क्षेत्रों में सभी पंचायत कृषि ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। साथ-साथ सभी पंचायतों में जो कार्यशाला आयोजित होगी उसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के फसलों का ट्रेनिंग/प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।
- प्रखण्ड कृषि वरिष्ठ विकास पदाधिकारी :-** अपने प्रखण्ड कार्य क्षेत्रों में सभी पंचायत कृषि ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। साथ-साथ सभी पंचायतों में जो कार्यशाला आयोजित होगी उसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के फसलों का ट्रेनिंग/प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे और प्रखण्ड स्तरीय किसान मेला एवं सेमिनार आयोजित करेंगे।
- जिला कृषि विकास प्रभारी :-** अपने जिले के कार्य क्षेत्रों में आने वाले सभी प्रखण्ड कृषि विकास व, वरिष्ठ विकास पदाधिकारी को प्रशिक्षित करना एवं प्रखण्ड स्तरीय कृषि सेमिनार कर किसानों को आधुनिक यंत्र एवं नई तकनीक से खेती करने के बारे में विस्तृत जानकारी देना।
- जिला कृषि वरिष्ठ विकास प्रभारी :-** अपने जिले के कार्य क्षेत्रों में आने वाले सभी प्रखण्ड कृषि विकास व, वरिष्ठ विकास पदाधिकारी को प्रशिक्षित करना एवं प्रखण्ड स्तरीय कृषि सेमिनार कर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र एवं नई तकनीक से खेती करने के बारे में विस्तृत जानकारी देना।

6. **प्रमण्डल कृषि विकास निदेशक :-** अपने प्रमण्डल कार्य क्षेत्रों में आने वाले सभी जिले के प्रभारी को प्रशिक्षित करना और जिला स्तरीय सेमीनार करना किसानों को नई-नई खेती के तकनिकियों के बारे में एवं विभिन्न फसलों में सफल किसानों को पुरस्कृत करना।
7. **प्रमंडल कृषि विकास मुख्य निदेशक :-** अपने प्रमंडल कार्य क्षेत्रों में आने वाले सभी जिले के प्रभारी को प्रशिक्षण करना और होने वाले जिला स्तरीय सेमीनार करना तथा किसानों को नई-नई खेती के तकनिकियों के बारे एवं विभिन्न फसलों के बारे में किसानों को जानकारी देने के साथ-साथ किसानों को सेमिनार में पुरस्कृत करना, जिससे किसानों में उत्साह बना रहें।
8. **कम्पनी के सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कार्य गतिविधियों का रिपोर्ट पूरी सप्ताह का करना अनिवार्य होगा।**

आर पी जी कृषि विकास अधिकारियों का नियुक्ति एवं चयन :-

1. इच्छुक व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन करेंगे।
2. आवेदनकर्ता उसी पंचायत प्रखण्ड, जिले प्रमंडल के स्थानीय निवासी हो।
3. परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा शुल्क 500 रुपये होंगे शुल्क का भुगतान ऑन लाईन ही करेंगे।
5. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात, दस्तावेजों की कॉपी एवं रजिस्ट्रेशन फार्म भरना अनिवार्य होगा।
6. दस्तावेजों के साथ 6000/- रुपये मात्र भुगतान करना होगा।
7. प्रशिक्षण/ट्रेनिंग की अवधि तीन माह की होगी।
8. प्रशिक्षण के दौरान MFA या इमेंटिव देय नहीं होगा।
9. प्रशिक्षण की शुरुआत ऑस्टर मशरूम के की जायेगी।
10. प्रशिक्षण पूर्ण के उपरांत वेलकम लेटर/ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

आर पी जी के द्वारा दी जाने वाली टारगेट एवं आर्थिक पैकेज

क्र.सं.	पदनाम	नये किसान प्रतिमाह टारगेट	प्रतिमाह MFA	प्रति किसान इमेंटिव
1.	पंचायत कृषि ट्रेनर	5	3000/-	1000/-
2.	प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी	50	6000/-	250/-
3.	प्रखण्ड कृषि वरिष्ठ विकास पदाधिकारी	50	7500/-	250/-
4.	जिला कृषि विकास प्रभारी	500	15,000/-	150/-
5.	जिला कृषि वरिष्ठ विकास प्रभारी	500	20,000/-	150/-
6.	प्रमंडल कृषि विकास निदेशक	1000	25,000/-	50/-
7.	प्रमंडल कृषि विकास मुख्य निदेशक	1000	30,000/-	50/-

आर पी जी विकास अधिकारीयों का नियम एवं शर्तें :-

1. यह कि जिला स्तरीय कृषि विकास अधिकारी को इन्सेटिव 100,000/- तक ही मिलेगा।
2. प्रमंडल स्तरीय कृषि निदेशक को इन्सेटिव 15,0000 तक ही मिलेगा।
3. यह कि सभी कृषि विकास पदाधिकारी को MFA प्राप्त करने के लिए टारगेट पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि इस माह में टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा उस माह का MFA होल्ड होगा, यदि अगले माह में दोनो माह का टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो दोनो माह का MFA एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा।
4. सभी ट्रेनर पदाधिकारी पेमेंट का भुगतान प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख तक होगा।
5. यह कि सभी ट्रेनर पदाधिकारी को MFA प्राप्त करने के लिए टारगेट से यदि अधिक नये किसानों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो अगले माह के लिए केरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो अगले माह MFA प्राप्त करने में मदद करेगा।
6. कृषि विकास अधिकारी, पंचायत, प्रखण्ड, जिले एवं प्रमंडल पोस्ट पर कार्यरत पदाधिकारी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे।
7. कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्य करने के साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तथा कम्पनी से निष्कासित कर दिया जायेगा।
8. प्रशिक्षण अवधि के अन्दर सभी पदाधिकारी को मिलकर प्रत्येक पंचायत से पाँच-पाँच नये किसान का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
9. प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन शुल्क 6000/- रुपये मात्र होगा।
10. प्रत्येक पंचायत कृषि ट्रेनर को अपने पंचायत से पाँच नये किसान का रजिस्ट्रेशन प्रतिमाह (प्रखण्ड-50, जिला-500, प्रमण्डल-1000) अनिवार्य होगा।
11. प्रत्येक कृषि विकास पदाधिकारी अपने टारगेट को लगातार तीन माह तक पूरा नहीं करेंगे। उनका समविदा/ अनुबंध तीन माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा और उस रिक्त स्थान पर नये अधिकारी की नियुक्त की जाएगी।
12. सभी पदाधिकारी को नेशनल छुट्टी सरकारी गजट के अनुसार मान्य होगा।
13. कृषि विकास अधिकारी की दी जाने वाली भुगतान पर TDS- 5% सभी तरह की भुगतान में कटौती की जाएगी और साथ-साथ 5% Handling Charge की भी कटौती की जाएगी।

ऑस्टर मशरूम पैकेज रू. 6000/- मात्र

1. 10 Kg मशरूम स्पोन (एक युनिट-100 बैग की खेती)
2. 100 पीस पॉली बैग।
3. 50 Gm कार्बोन्डाजिम (बेबकस्टीन)
4. 400 ML फार्मलिन
5. 3Kg लाइम पाउडर (चुना पाउडर)
6. 250 पीस रबड बैंड
7. 1 पीस हैंड स्प्रे।
8. 750gm जैन सुतली रस्सी।

ऑस्टर मशरूम Re-Purchase पैकेज रू. 3000/- मात्र

1. 10 Kg मशरूम स्पोन (बीज)
2. 100 पीस पॉली बैग
3. 50 gm कार्बोन्डाजिम (बेबिस्टीन)
4. 250 पीस रबड बैंड
5. 3 Kg लाइम पाउडर (चुना पाउडर)
6. 400 ML फार्मलिन

आर पी जी की ओर से दी जाने वाले रिवार्ड

क्र.स.	पदनाम	कुल किसानों की संख्या	Cash Value Rs.	Reward Name
1.	पंचायत कृषि ट्रेनर	300	75,000/-	
2.	प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी	7000	500,000/-	
3.	प्रखण्ड कृषि वरिष्ठ विकास पदाधिकारी	7000	500,000/-	
4.	जिला कृषि किसान प्रभारी	16000	1000,000/-	
5.	जिला कृषि वरिष्ठ विकास प्रभारी	16000	1000,000/-	
6.	प्रमंडल कृषि विकास निदेशक	65000	3600,000/-	
7.	प्रमंडल कृषि विकास मुख्य निदेशक	65000	3600,000/-	

आर पी जी फसल कलेक्शन एवं बिक्री केन्द्र

क्र.स.	पदनाम	फसल बिक्री कमिशन % में	स्पां रि-प्रजेज	कृषि यंत्र % कमीशन
1.	पंचायत कृषि ट्रेनर	3%	500	4%
2.	प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी	1%	150	1.5%
3.	प्रखण्ड कृषि वरिष्ठ विकास पदाधिकारी	1%	150	1.5%
4.	जिला कृषि किसान प्रभारी	0.75%	75	1%
5.	जिला कृषि वरिष्ठ विकास प्रभारी	0.75%	75	1%
6.	प्रमंडल कृषि विकास निदेशक	0.50%	25	0.50%
7.	प्रमंडल कृषि विकास मुख्य निदेशक	0.50%	25	0.50%
	कुल	7.50%	1000/-	10%

1. यह फसल कलेक्शन एवं बिक्री केन्द्र किसानों की सुविधा हेतु किया गया।
2. इस केन्द्र से विभिन्न प्रकार के फसल को बिक्री कर सकते हैं एवं खरीदारी भी कर सकते हैं।
3. सभी केन्द्रों का प्रभारी पंचायत, प्रखण्ड, जिला, प्रमंडल के ही अधिकारी होंगे।
4. इन सभी केन्द्रों पर से ही आधुनिक कृषि यंत्रों की बिक्री की सुविधा उपलब्ध होगी।
5. कृषि यंत्रों में किसी प्रकार की खराबी आने पर किसान केन्द्र के माध्यम से ही समाधान की जाएगी।

आर पी जी गुप के अधिकारियों का मिलने वाली पुरस्कार के नियम एवं शर्तें :-

1. **पंचायत कृषि ट्रेनर :-** यह कंपटीशन प्रखण्ड स्तरीय होगा। जो पंचायत स्तरीय कृषि ट्रेनर सबसे अच्छा कार्य अपने प्रखण्ड लेबल में प्रदर्शन करेंगे, उन्ही को पुरस्कृत किया जायेगा।
2. **प्रखण्ड कृषि विकास पदाधिकारी :-** यह कंपटीशन जिला स्तरीय होगा, जो प्रखण्ड स्तरीय कृषि विकास अधिकारी सबसे अच्छा कार्य अपने जिले लेबल में प्रदर्शन करेंगे। उन्ही को पुरस्कृत किया जाएगा।
3. **जिला कृषि विकास प्रभारी :-** यह कंपटीशन जिला स्तरीय होगा जो जिला स्तरीय कृषि विकास प्रभारी का सबसे अच्छा कार्य अपने प्रमंडल लेबल में प्रदर्शन करेंगे। उन्ही को पुरस्कृत किया जाएगा।
4. **प्रमंडल कृषि निदेशक :-** यह कंपटीशन प्रमंडल स्तरीय होगा। जो प्रमंडल स्तरीय कृषि निदेशक का सबसे अच्छा कार्य अपने प्रमंडल लेबल में प्रदर्शन करेंगे। उन्ही को पुरस्कृत किया जाएगा।

पुरस्कार के नियम एवं शर्तें

- यह पुरस्कार कंपटीशन सभी पदों पर कार्यरत कृषि विकास पदाधिकारियों के लिए होगा।
- यह पुरस्कार कंपटीशन एक वर्ष में चार बार निकाली जाएगी, जिसमें एक कंपटीशन की समय सीमा तीन माह की होगी।
- पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी सबसे अच्छा कार्य, पंचायत प्रखण्ड जिला प्रमंडल में तीन माह के अंदर कार्य प्रदर्शन अच्छा करेगे, उन्ही को पुरस्कृत किया जाएगा।
- यह पुरस्कार बिजेता प्रखण्ड, जिला, प्रमंडल में कार्यरत दो पदाधिकारी जुनियर एवं वरिष्ठ दोनों को किया जाएगा।
- यह पुरस्कार कृषि से संबंधित यंत्र या मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, मछली पालन एवं मल्टीलेयर कृषि के लिए पाउली हाउस दिया जाएगा। ताकि स्वराज्य का साधन स्थाई रूप से बन सके।
- पुरस्कार में नगद राशि का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

आर पी जी ग्रुप के किसानों को मिलने वाली पुरस्कार के नियम एवं शर्तें

- यह कि किसानों को पुरस्कार प्रखण्ड स्तरीय पर पुरस्कृत किया जाएगा।
- किसानों को पुरस्कार के लिए अलग-अलग फसलों में सबसे अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा।
जैसे:- मशरूम, जैविक खाए, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, मल्टीलेयर खेती, फसल चक्र (बहुफसली खेती) शामिल है।
यह की कम्पनी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा और इसकी समय अवधि छः माह के अच्छे कार्य के आधार पर होगा।
कम्पनी द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार कृषि यंत्र या कृषि से संबंधित उपकरण से ही पुरस्कार ही पुरस्कृत की जायेगी।
मिलने वाली पुरस्कार में नगद राशि का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

